प्रकरण संख्या : 12/2023
गंगासहाय वगै. बनाम कैलाश चन्द वगै.
निर्णय दिनांक : 07.05.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	12/2023
दायर दिनांक	:	07.06.2023
निर्णय दिनांक	:	07.05.2025

1. गंगासहाय पुत्र पाल्या जाति मीना, निवासी सीरियान की ढाणी दौसा तहसील व जिला दौसा
2. रमेश पुत्र रामकरण जाति मीना, निवासी सीरियान की ढाणी दौसा तहसील व जिला दौसा
3. अनिल पुत्र रामकरण जाति मीना, निवासी सीरियान की ढाणी दौसा तहसील व जिला दौसा
4. कमलेश पुत्र रामकरण जाति मीना, निवासी सीरियान की ढाणी दौसा तहसील व जिला दौसा
5. नरेश पुत्र रामकरण जाति मीना, निवासी सीरियान की ढाणी दौसा तहसील व जिला दौसा
6. पिन्की पुत्री रामकरण जाति मीना, निवासी सीरियान की ढाणी दौसा तहसील व जिला दौसा
7. सीताराम पुत्र रामकरण जाति मीना, निवासी सीरियान की ढाणी दौसा तहसील व जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र पाल्या जाति मीना, निवासी सीरियान की ढाणी दौसा तहसील व जिला दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
3. उप पंजीयक (सब रजिस्ट्रार) दौसा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी * उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा में भूमि खसरा नम्बर 133, 217, 218, 219, 495, 496, 67, 68, 69 कुल किता 9 कुल रकबा 4.08 है. स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 जमाबन्दी में दर्ज अपने–अपने हिस्से अनुसार खातेदार काबिज काश्तकार हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि के खसरा नम्बर 217, 218, 219 में होकर काफी वर्षों पूर्व एनएच 11 दौसा बाईपास हेतु भूमि अवाप्त हो चुकी है और मौके पर एनएच 11 का निर्माण किया जा चुका है। उक्त एनएच 21 में अवाप्त की गई भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी से नहीं हटाई गयी है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत् तकास्मा करवाने के लिए अनेकों बार कहा गया परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 तकास्मा कराने में आनाकानी करता रहा। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से की काश्त की भूमि खसरा नम्बर 217, 218, 219 जो एनएच 21 के किनारे पर है उस पर जबरदस्ती कब्जा करने के उद्देश्य से मिट्टी डालने का कार्य करवाया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का दखल मदाखलत पैदा करने से किसी दीगर को रहन, बय, हस्तानान्तरित करने से निर्माण करने से स्वयं अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:42:36 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 को एवं अपने परिवाजन, रिश्तेदार मित्र, हितैषी, नौकर, चाकर, एजेन्ट एवं हर प्रकार से ताफैराला वादपत्र जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित फरमाया जावे साथ ही राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की तामील मानी गयी।

प्रकरण में बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार है :–

1. **प्रथम दृष्ट्या मामला** : पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी आधार संवत् 2072–2075 (वर्ष 2019 से स्थायी) का अवलोकन करने पर ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 133, 217, 218, 219, 495, 496, 67, 68, 69 कुल किता 9 कुल रकबा 4.08 है॰ की खातेदारी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सख्या 1 दोनों के पक्ष में साबित होता है।
2. **सुविधा का सन्तुलन** : प्रश्नगत आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अतः सुविधा के सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 दोनों के पक्ष में समान रूप से साबित होता है।
3. **अपूर्णीय क्षति** : प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में साबित होने के फलस्वरूप अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 दोनों के पक्ष में समान रूप से निर्धारित किया जाता है।

अतः प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 दोनों के पक्ष में समान रूप से साबित होने के फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 को प्रकरण से संबंधित दावा पत्रावली के निस्तारण तक ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 133, 217, 218, 219, 495, 496, 67, 68, 69 कुल किता 9 कुल रकबा 4.08 है॰ के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबन्द किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी * उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा *

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:42:36 IST
Reason: SelfAttested